भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3593

उत्तर देने की तारीख 10.08.2026

सांगली की सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन

3593. श्री. विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांगली की रंगमंच परंपरा और मिराज की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाद्य यंत्र बनाने की परंपरा के दृष्टिगत इसे एक सांस्कृतिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने पर विचार किया है;

(ख) सांगली में रंगमंच संगठनों से सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और अस्वीकृति अथवा लंबित रहने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मिराज के सितार और तानपुरा को दिए गए जीआई टैग के उत्पादन, बिक्री, निर्यात और कारीगरों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सांगली की रंगमंच और मिराज की वाद्य यंत्र बनाने की विरासत पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवर्धन या पर्यटन पहल के अंतर्गत विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का 'नाट्य पंढरी' के रूप में सांगली की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए रंगमंच संगठनों को केन्द्र सरकार के सांस्कृतिक अनुदान को प्राप्त करने में कोई सहायता प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जब भी राज्य सरकार किसी स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त प्रारूप में सहायता के लिए आवेदन करती है, तब सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजीएस) के स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर से पात्र गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों और विश्वविद्यालयों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यकलापों के आयोजन के लिए पूरे वर्ष प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय में इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कोई जिला-वार सूची नहीं रखी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त, अनुमोदित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	**विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित आवेदनों की संख्या**	**विशेषज्ञ समिति द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**लंबित**
4380	692	3688	--

विशेषज्ञ समिति इन आवेदनों का मूल्यांकन करती है और इन संगठनों की सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल, प्रस्ताव की गुणवत्ता और स्कीम के दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर वित्तीय सहायता की अनुशंसा करती है।

(ग): मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, जीआई (भौगोलिक संकेतक) टैग पाक-कला, पर्यटन आदि को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित करते हुए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है। कानूनी सुरक्षा प्रदान करके और इन अनूठे क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देकर, जीआई प्रमाणन न केवल पारंपरिक ज्ञान और पद्धतियों की संरक्षा करता है बल्कि स्थायी आजीविका के अवसर भी सृजित करता है, जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

(घ) और (ड.): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
